

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

100

क्रमांक:-F(200)(Pt.-IV)JDA/OSD(RM)/2017-18/D-233

दिनांक:-28-2-1

कार्यालय आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के अनुसरण में आरक्षित दरों के निर्धारण/पुनर्निर्धारण हेतु प्रेषित प्रस्तावों का जविप्रा उच्चाधिकार समिति की 63वीं बैठक दिनांक 14.02.2018 में एजेण्डा संख्या 63.3, 63.20 एवं 63.24 द्वारा अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित योजनाओं/ कॉलोनीयों की आवासीय आरक्षित दरें निम्नानुसार निर्धारित/पुनर्निर्धारित की जाती हैं:-

S.N.	Zone	Scheme Name	आदेश दिनांक 14.09.17 के अनुसार आवासीय आरक्षित दरें (रूपये प्र.व.मी.)	प्रभावी आवासीय आरक्षित दरें (रूपये प्र.व.मी.)
1	8	SWARNA VIHAR	8000	11000
2	9	RAMCHANDRAPURA	-	16000
3	14	ABHINAV VIHAR VISTAR	8000	6000
4	14	SURYA NAGAR BLOCK - A & B	5500	4000
5	14	UDAY VIHAR	6500	5000

- उपरोक्त आवासीय आरक्षित दरें 80 फीट (24मीटर) की चौड़ाई वाली सड़क तक लागू होगी। 80 फीट से अधिक एवं 100 फीट (30मीटर) तक की सड़क चौड़ाई के लिए 10 प्रतिशत अधिक दर तथा 100 फीट से अधिक चौड़ाई वाली सड़क होने पर 15 प्रतिशत अधिक दर लागू होगी। कार्नर के भूखण्डों में अधिकतम चौड़ाई वाली सड़क की आरक्षित दरें लागू होगी।
- वाणिज्यिक आरक्षित दरें, आवासीय आरक्षित दर की दो गुणा होगी एवं संस्थानिक आरक्षित दर, आवासीय आरक्षित दर से 25 प्रतिशत अधिक होगी।
- यदि किसी भूखण्ड/भूमि के लिए एक से अधिक आरक्षित दर लागू हो रही है तो अधिक दर ही प्रभावी होगी।
- यदि किसी भूखण्ड के लिये आरक्षित दर निर्धारण में विवेचना की स्थिति हो तो आयुक्त जविप्रा द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा।
- वे क्षेत्र, जो उपरोक्त तालिका में अंकित योजनाओं के क्षेत्रों, सड़कों के किनारे निर्धारित पट्टी इत्यादि में सम्मिलित नहीं है, उस हेतु MDP-2025, के वर्गीकरण अनुसार सम्बन्धित जोन की U-1, U-2, U-3, Rural & Ecological क्षेत्र अनुसार आरक्षित दरें प्रभावी होंगी।

उक्त के अतिरिक्त जविप्रा उच्चाधिकार समिति की 63वीं बैठक दिनांक 14.02.2018 के एजेण्डा संख्या 63.3 के द्वारा आरक्षित दरों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक F(200)(Pt.-IV)JDA/OSD(RM)/2017-18/ D-1054 दिनांक 28.11.2017 की कार्योत्तर स्वीकृति भी प्रदान की गई।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।


(एच. गुईटे)

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण